बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग :: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक <u>4</u> 3-20

संख्या—21 / लोक (स्थाः)-03 / 2019, सा. प्र. 3.4.) 6... बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 की धारा-55 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल " बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013" में संशोधन करने हेतू निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम। (i) यह नियमावली "बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) (संशोधन) नियमावली. 2020" कही जा सकेगी।
 - (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (iii) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत होगी।
- 2. 'बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013' के नियम-4 के उप नियम-1 में कंडिका-(इ) जोड़ा जाना :- उक्त नियमावली में नियम-4 के उप नियम-1 में निम्नवत् जोड़ा जायेगा :-
- -(ड़) क्या सदृश्य परिवाद पूर्व में किसी न्यायालय / प्राधिकार के समक्ष उन शिकायतों के लिए दायर नहीं किया गया है, जिसके लिए उनके द्वारा लोकायुक्त संस्थान के समक्ष परिवाद पत्र दायर किया गया है ? "
- 3. उक्त नियमावली के नियम-6 के उप नियम-2 को उप नियम-2 (क) के रूप में पुनर्नामित किया जाना :-- उक्त नियमावली के नियम-6 के उप नियम-2 को उप नियम-2(क) के रूप में पुनर्नामित किया जायेगा :--

"उक्त नियमावली के नियम-6 के उप नियम-2 को उप नियम-2(क) के रूप में पुनर्नामित किया जाता है।"

4. उक्त नियमावली के नियम-6 के उप नियम-2 में एक नया उप नियम-2(ख) जोड़ा जाना :--उक्त नियमावली के नियम-6 के उप नियम-2(क) के बाद उप नियम-2(ख) निम्नवत् जोड़ा जायेगा :--

'2 (ख) परिवादी को यह घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा सदृश्य वाद किसी न्यायालय/ प्राधिकार के समक्ष दायर नहीं किया गया है अथवा लंबित नहीं है। यदि उनके द्वारा कोई वाद किसी न्यायालय/प्राधिकार के समक्ष पूर्व में दायर किया गया हो तो इसका पूर्ण विवरण एवं संबंधित न्यायालय/प्राधिकार द्वारा पारित अंतिम आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

बिहार राज्यपाल कि आदेश से,

(उदय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

प्रतिलिपि:— वित्त विभाग ई-गजट शाखा को सी.डी. सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

सरकार वे अपर सचिव।

ज्ञापांकः— संख्या—21 / लोक。(स्था。)-03 / 2019,सा0प्र0. 3 4 1 6 / पटना—15, दिनांक— 4 : 3 : 20 प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना

को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार से अपर सचिव।

ज्ञापांक:- संख्या-21/लोक (स्था)-03/2019, सा0प्र0 34 14 / पटना-15, दिनांक- 4:3 20

प्रतिलिपि:— अपर सचिव-सह- सचिव (प्र.) लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- संख्या-21 / लोक。(स्था॰)-03 / 2019,सा0प्र0 3 4 14 / पटना-15, दिनांक- 4 : 3 : 20

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विमाग

संख्या—21/लोक(स्था。)-03/2019,सा。प्र. 3.4.17 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 3.4.16 दिनांक .4:3:20 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

NOTIFICATION

Patna, Dated 4:3.90

No.-21/Lok-(Estt)-03/2019 Ka 3 4.17 In exercise of the powers conferred by Section-55 of Bihar Lokayukta Act, 2011 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Lokayukta (Investigation) Rules, 2013:-

- 1. Short title, extent and commencement (1) These Rules may be called "Bihar Lokayukta (Investigation) (Amendment) Rules, 2020."
- (ii.) It shall extant to the whole of the State of Bihar.
- (iii) It shall come into force at once.
- 2. Addition of para (e) in sub rule-1 of rule-4 of "Bihar Lokayukta (Investigation)

 Rules, 2013" In sub rule-1 of Rule-4 of the said, Rules the following shall be added:-
- " (e) Is similar complaint has not been filed in past before any Court/Authority for that complaints, for which complaint has been filed before the institution of Lokayukta by him?"
- 3. Renumbered to Sub Rule-2 of Rule-6 of the said Rules as Sub Rule-2 (a):Sub Rule-2 of Rule-6 of the said Rules shall be renumbered as Sub Rule-2 (a):"Sub rule-2 of Rule-6 of the said Rules is renumbered as sub rule-2(a)"
- 4. Addition of a new sub rule-2 (b) in sub rule-2 of Rule-6 of the said Rules:
 After sub rule-2(a) in Rule-6 of the said Rules following sub rule-2(b) shall be added:-

" 2(b) It shall be declared by the complainant that similar complaint has not been filed before any Court/Authority by him. If any complaint has been filed in past before any Court/Authority by him, then it shall be necessary to enclose its all details and last order passed by related Court/Authority."

By the order of the Governor of Bihar,

(Uday Kurbar Singh)
Additional Secretary to Government

| No 21/Lok-(Estt)-03/2019 Ka |
|---|
| copies with the request for publication to this in extra-ordinary issue of Bihar Gazette and to send its copies to this Department. Additional Secretary to Fovernment |
| Memo no 21/Lok-(Estt)-03/2019 Ka |
| |
| Copy forwarded to A.G. Bihar, Patna/Treasury Officer, Secretariat Treasury, |
| Shichai Bhawan, Patna for information and necessary action. |
| Additional Secretary to Government |
| D. C. I. |
| Memo no 21/Lok-(Estt)-03/2019 Ka |
| Copy forwarded to Additional Secretary-cum-Secretary(Adm.), office of the |
| Lokayukta, Bihar, Patna for information and necessary action. |
| 10 mil 3 120 |
| Additional Secretary to Government |
| No 21/Lok-(Estt)-03/2019 Ka |
| Copy forwarded to I.T. Manager, General Administration Department, Bihar, |
| Patna for information and necessary action. |
| Additional Secretary to Government |